# विधान सभा प्रश्न

| | |
|---|---|
| विभाग का नाम | उद्यान विभाग |
| प्रश्न संख्या अतारांकित | 1984 |
| उत्तर की तिथि | 07–03–2022 |
| विषय | ''धनराशि'' |
| प्रश्नकर्त्ता का नाम | श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) |
| सम्बन्धित मंत्री | जल शक्ति मंत्री। |

| **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|
| (क) गत 3 वर्षो में दिनांक 01.02.2022 तक प्रदेश में सेब की कितनी पेटियां प्रदेश से बाहर बेची गई; वर्षवार ब्यौरा दें; | (क),(ख) व (ग)<br>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है । |
| (ख) इस अवधि में सेब की उपज से बागवानों को कुल कितनी आमदनी हुई; वर्षवार ब्यौरा दें; और | |
| (ग) एच0पी0एम0सी0 द्वारा बागवानों को नकद धनराशि न देकर उत्पाद देने के क्या कारण हैं; सरकार क्या यह सुनिश्चित करेगी कि बागवानों का भुगतान एम0आई0एस0 स्कीम के तहत केवल कैश में ही करे? | |

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1984 जोकि श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) द्वारा ''धनराशी'' बारे पूछा गया है का उत्तर ।

(क) गत तीन वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक हिमाचल प्रदेश से 8 करोड़ 13 लाख सेब की पेटियां प्रदेश से बाहर भेजी गई है। पेटियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0 सं0 | वर्ष | प्रदेश से बाहर भेजी गई पेटियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 3,21,86,389 |
| 2 | 2020-21 | 2,16,47,789 |
| 3 | 2021-22 (31 जनवरी, 2022 तक) | 2,75,06,565 |
| | कुल योग | 8,13,40,743 |

(ख) गत तीन वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक सेब की उपज से बागवानों को कुल 12365.82 करोड़ रूपयों की आमदनी हुई है। वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0 सं0 | वर्ष | सेब की उपज से आमदनी (करोड़ रूपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 5678.50 |
| 2 | 2020-21 | 2919.63 |
| 3 | 2021-22 (31 जनवरी, 2022 तक) | 3767.69 |
| | कुल योग | 12365.82 |

लगातार पृ0/2–

(ग) मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत बागवानों से क्रय किए गए फलों की राशि के भुगतान हेतू, सरकार प्रापण संस्थानों (एच0पी0एम0सी0/हिमफैड) को नकद धनराशि प्रदान करती है। जहां तक एच0पी0एम0सी0/हिमफैडके बागवानों को नकद धनराशि की जगह उत्पाद देने का प्रश्न है, बागवान एच0पी0एम0सी0/हिमफैड से खरीदे गए सेबों के एवज में बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरण एवं स्प्रे ऑयल के रूप में प्राप्त करने को प्राथमिकता देते है, तथा एच0पी0एम0सी0/हिमफैड अपनी शाखाओं के माध्यम से बागवानों को उत्तम किस्म के उपकरण उनकी इच्छानुसार उनके समीप स्थानों में उपलब्ध करवाती है। एच0पी0एम0सी0/हिमफैड बागवानों को देय राशि का समायोजन शाखाओं के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे उत्पादों को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करता है।

सेब सीजन 2020 तक की शेष राशि का भुगतान नकद में करने के आदेश पहले ही एच0पी0एम0सी0/हिमफैड द्धारा सभी शाखाओं को दिए जा चुके है तथा वर्ष 2020—21 में भी खरीद एजैंसियों एच0पी0एम0सी/हिमफैड को सरकार द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत क्रय किए गए फलों के भुगतान हेतू 20 करोड़ रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।